

518

641

3/2/05

राजस्थान सरकार
परिग्रहण संविधान
=====

क्रमांक: प. 411/मं/99 गार्ड-1

जयपुर, दिनांक: 1.2.2005

आज्ञा

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से भूमि अवाप्ति के पूर्व के
प्रकार में अधिष्ठा भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटन के
निर्णय हेतु निम्नलिखित मंत्रिण की एक उप समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. श्री रामनारायण डूडी | राजस्व मंत्री |
| 2. श्री प्रतापसिंह सिंघवी | राज्यमंत्री, नगरीय विकास
स्वं आवासन विभाग |
| 3. श्री बाबूलाल वर्मा | राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास
स्वं पंचायतीराज विभाग |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, नगरीय विकास विभाग होगा
तथा इसके सचिव, आवासन सचिव, नगरीय विकास विभाग होंगे।

आज्ञा से,

चन्द्रमोहन मीना
आवासन सचिव

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राज0, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री।
3. प्रमुख आवासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. आवासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. विशिष्ट सहायक, निजी सचिव, संबंधित मंत्रिण/राज्य मंत्रिण।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
7. रक्षित पत्रागली।

आवासन उप सचिव

मेमोरान्डम/
29105